

उत्तर प्रदेश शासन
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2
संख्या-क0नि0-2-898/ग्यारह-9(1)/08-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(82)-2012
लखनऊ:: दिनांक:: 07 सितम्बर, 2012

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) की धारा 3-क की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, दिनांक 08, सितम्बर, 2012 से समय-समय पर यथा संशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या क0नि0-2-419/ग्यारह-9(1)/08-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(69)-2011, दिनांक 31 मार्च, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना की सारिणी में, क्रम संख्या 5 एवं 7 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां स्तम्भवार रख दी जायेंगी, अर्थात:-

क्रम संख्या	माल का विवरण	दर
1	2	3
5	टायर एवं ट्यूब्स, जिसमें उक्त अधिनियम की अनुसूची-2, भाग-क में यथावर्णित साइकिल, साइकिल-रिक्शा, पशुचालित यान एवं ट्रैक्टर के टायर एवं ट्यूब्स सम्मिलित नहीं है।	3 प्रतिशत
7	उपर्युक्त क्रमांक 3,4 एवं 5 पर वर्णित माल से भिन्न उक्त अधिनियम की अनुसूची पाँच में वर्णित माल।	1.5 प्रतिशत

आज्ञा से,



(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव।